Smt Naepali (March 2022). भारत में मृत्यु दंड की स्थिति

International Journal of Economic Perspectives,*16*(3), 169-177

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

भारत में मृत्यु दण्ड की स्थिति

श्रीमती नैपाली
असिसटेन्ट प्रोफेसर
(Law Department)
श्रीवार्ष्णेय डिग्री कॉलिज
अलीगढ

प्रस्तावना

मृत्युदण्ड का अर्थ है किसी अपराधी की मृत्यु कर देना या मृत्यु कारित करने से है, जोकि एक दण्ड के रूप में की गयी है।

मृत्युदण्ड से तात्पर्य ऐसे मानव वध या हत्या से होता है, जो अपराध करने से दण्ड स्वरूप द्वारा न्यायोचित ठहराया गया होता है। मृत्युदण्ड में कुछ मुख्य विशेषतायें पायी जाती है।

1. इसमें किसी भी अपराधी के जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है।
2. इसमें अपराधी के जीवन को समाप्त किया जाना न्यायिक रूप में उचित ठहराया जाता है।
3. इसमें जीवन का समापन दण्ड के रूप में किया जाता है।

मृत्युदण्ड किन अपराधों में दिया जाता है।

मृत्युदण्ड बहुत ही कठोर दण्ड है और यह बहुत ही गम्भीर अपराधों में दिया जाता है। यह दण्ड एक ऐसा दण्ड है, जो केवल शासन द्वारा दिया जाता है। भारत में मृत्युदण्ड प्राचीनकाल से चला आ रहा है। पहले भी गम्भीर अपराधों में राजा द्वारा मृत्युदण्ड दिया जाता था। जैसे–जैसे समाज व्यापक होता गया वैसे–वैसे अपराधों का भी बोलबाला बढ़ता चला गया। वैसे तो प्रत्येक युग में मृत्युदण्ड दिया जाता था। यहाँ तक कि देश के स्वतंत्र होने से पहले भी भारत में खुलकर मृत्युदण्ड देने का चलन था और इसका खुलकर प्रयोग हुआ था। हालांकि यह कहने में कोई सन्देह नहीं है कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो उससे पहले ही मृत्युदण्ड को समाप्त करने के प्रयास शुरू हो गये थे और लोगों द्वारा इसके पक्ष एवं विपक्ष में मत व्यक्त किये गये, 1949 में पहली बार इसके विरूद्ध लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया था। जिसके विरूद्ध सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इस बात को रखा था कि वर्तमान हालात में यह प्रस्ताव समय के अनुकूल नहीं है। वैसे वर्तमान में मृत्युदण्ड को उचित माना गया है। हमारे भारतीय संविधान में भी इसे उचित माना गया है। हालांकि ये बात ओर है कि इसके सम्बन्ध में तर्क–वितर्क दिये गये है। कुछ ने इसके पक्ष में तर्क दिये है। समाज में दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं। जो किसी बात/तथ्य को उचित मानते है और कुछ उस तथ्य को उचित नहीं मानते है। परन्तु यह वाद के निर्णय में ही तय हो जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब हम मृत्युदण्ड के पक्ष एवं विपक्ष की चर्चा करते है कि व्यक्तियों की मृत्युदण्ड के सम्बन्ध में क्या क्या विचारधारा निकलकर आयी है।

मृत्युदण्ड के सम्बन्ध में पक्ष व विपक्ष के रूप में तर्क

कुछ विद्वानों के अनुसार मृत्युदण्ड आवश्यक है क्योंकि मृत्युदण्ड एक अवरोधक के रूप में कार्य करता हैं मृत्युदण्ड के नाम से ही समाज में एक भय का माहौल पैदा होता है। कोई

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

भी व्यक्ति कितना भी बदमाश क्यों न हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, लेकिन मृत्यु की बात आने पर वह भी उतना ही घबराता है, जितना एक साधारण व्यक्ति मृत्यु से घबराता है। लेकिन यह बात भी सही है कि पूर्व में जिन व्यक्तियों/अपराधियों को मृत्युदण्ड दिया जाता था वह एक मानसिक उपज के रूप में भी था। उस समय यह नहीं सोचा जाता था कि यदि इस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड न देकर इसका सुधार किया जाये या इससे कम दण्ड देने पर अपराधी को सुधारा जा सकता है। उस बात पर गौर नहीं फर्मायी जाती थी। बस दिमाग में एक बात तय कर रखी थी कि बस इसने यह अपराध किया है इसको मृत्युदण्ड दिया जाना है तो बस दिया जाना है। मृत्युदण्ड देने से पूर्व कोई चिन्तन किसी प्रकार का नहीं किया जाता था। जबकि इसके ऊपर एक विचार जरूरी है। केवल हाँ मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिये यह ही जरूरी नहीं है। बल्कि ये क्यों जरूरी है इसका क्या उद्देश्य है। क्या समाज में इसका सकारात्मक प्रभाव होगा! यह भी बहुत जरूरी है इस संबंध में कुछ देशों ने भी अपने–अपने विचार रखे हैं जैसे अमेरिका फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 1960 में अपराधों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है कि यह मृत्युदण्ड वहाँ रखा गया था जहां हत्या का आंकड़ा ज्यादा था इस रिपोर्ट को "यूनिफार्म क्राइम रिपोर्ट" के नाम से जाना जाता है बाकी अमेरिका के जिन राज्यों में मृत्युदण्ड का आंकड़ा ज्यादा नहीं था वहाँ मृत्युदण्ड को समाप्त कर दिया गया था फिर उसके बावजूद भी समान दण्ड होने पर भी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या की दर फिर भी असमान रही, इस प्रकार इन सभी तथ्यों से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मृत्युदण्ड समाप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि कई तरह के विचार सामने आने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्युदण्ड के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वे पूरी तरह निर्णायक नजर नहीं आते हैं वे महत्वहीन नजर आते हैं इसलिए यही विचार सामने आता है कि मृत्युदण्ड का होना आवश्यक है मृत्युदण्ड समाज में भय पैदा नहीं करता बल्कि बहुत सारे अपराधों को अंजाम देने में रोक लगाता है क्योंकि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतारता है यदि वह थोड़ा भी समझदार था वह सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है तो वह दूसरे व्यक्ति की हत्या करने से पहले कई बार सोचने के लिए विवश होगा यदि वह किसी षड्यंत्र के तहत दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता है तो इसलिए समाज में अपराधों की रोकथाम के लिए मृत्युदण्ड अति आवश्यक है। जैसे–

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए0आई0आर0 1980 सुप्रीम कोर्ट 898 में मृत्युदण्ड को रखने का पक्ष लिया है। राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए0आई0आर0 1979 सुप्रीम कोर्ट 196 इसमें यह कहा गया है कि गम्भीर सामाजिक अपराधों में मृत्युदण्ड देना चाहिये। 20 मार्च 2020 को मुकेश, अक्षय, विनय शर्मा और पवन कुमार को फांसी दी गई थी। ज्योति सिंह की हत्या गैंगरेप में इस तरह के केसों में जहां कोई व्यक्ति अपनी सभी सीमाओं को पार करके इस तरह के घिनौने अपराध करता है उस अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ मृत्युदण्ड ही एकमात्र कठोर दण्ड है क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वह समाज के लिए एक खतरा है।

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

प्रथम तर्क भी सामने आया है कि खतरे को समाप्त करने के लिए मृत्यु दण्ड आवश्यक है। खतरे के सम्बन्ध में इसी तरह का मामला उड़ीसा राज्य का भी सामने आया था लक्ष्मण नायक बनाम उड़ीसा राज्य 1922 सी0एल0जे0 2692 सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी मृत्युदण्ड दिया था इसमें एक चाचा अपनी भतीजी को फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। क्योंकि न्यायालय ने इसे संगीन अपराध माना था।

अब दूसरा तर्क यह आता है कि क्या मृत्युदण्ड अन्य दण्डों की अपेक्षा सही व कम खर्चीला है और राज्य के लिए लाभदायक भी है इस संबंध में यह भी विचार सामने आए हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है यदि खर्च की बात करें तो अपराधी की जो चौकसीपूर्ण निगरानी के लिए जो सरकार खर्च करती है क्या वह व्यय कम है इस तरह के खर्चों को कभी भी सरकार द्वारा नहीं जोड़ा जाता है छोटे–छोटे खर्च भी बहुत से हो जाते हैं पर खर्चे की बात को मानते हुए यह तर्क रखना कि सरकार का खर्चा कम होता है इसलिए मृत्युदण्ड रखा जाना चाहिए यह तथ्य कोई मजबूत तथ्य नजर नहीं आता है केवल खर्चे की बात का समर्थन करते हुए कि खर्चा बचता है तो यह तर्क उचित नहीं है कि केवल खर्चे की बचत को देखते हुए मृत्युदण्ड रखा जाना चाहिए यह तथ्य अपने आप में उचित नहीं है

अब हम अवैध हत्या व मृत्युदण्ड के संबंध में विचार करते हैं

मृत्युदण्ड के बारे में तीसरा तर्क यह भी सामने आया है कि यदि मृत्युदण्ड को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में अपराधी के प्रति जो घृणा का भाव पैदा होता है उसे महसूस नहीं किया जा सकता है उसका परिणाम यह होगा कि समाज ऐसे व्यक्ति की अवैध रूप से हत्या कर देगा जिसने मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध किया था यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्युदण्ड की श्रेणी जैसा अपराध करता है तो उसे अवैध रूप में समाप्त न कर उसको वैध रूप में ही मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई घटना किसी एक क्षेत्र में घटी और उस अपराधी को वही के समाज के लोगों ने अवैध रूप से उसकी हत्या कर दी तो यह समाधान नहीं है और न ही यह तर्क न्याय संगत है ये तो सिर्फ वही के व्यक्तियों तक खबर रही ये सारे समाज देश में फैलाने के लिए पूरे देश को खबरदार करने के लिए उसको वैध रूप में मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए और इसका दूसरा तर्क यह भी है जिन देशों में जिन राज्यों में मृत्युदण्ड को समाप्त कर दिया गया था उन देशों एवं राज्यों के जो आंकड़े सामने आए हैं वह बताते हैं कि मृत्युदण्ड को समाप्त करने से अवैध हत्या में वृद्धि नहीं होती है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मृत्युदण्ड के पक्ष में दिए गए तीसरे तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अब मृत्युदण्ड के संबंध में चौथा तर्क सामने आता है

मृत्युदण्ड का चौथा विचार यह तर्क प्रस्तुत करता है कि केवल मृत्युदण्ड ही निश्चित दण्ड है और अन्य सभी दण्ड अनिश्चित है यह भी निराधर तर्क है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि केवल मृत्युदण्ड को ही एक निश्चित दण्ड माना जाए क्योंकि मृत्युदण्ड भी जब तक निष्पादित नहीं हो

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

जाता है तब तक तो मृत्युदण्ड में भी अनिश्चितता बनी रहती है क्योंकि इसके कुछ विशेष कारण है जो इसको स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। (1) मृत्युदण्ड का अपराधी भी क्षमादान प्राप्त कर सकता है अथवा इस दण्ड को अन्य दल में परिवर्तित करा सकता है जैसे–यदि किसी अपराधी को मृत्युदण्ड दिया जाना है या मृत्युदण्ड देने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है तो उस स्थिति में उस अपराधी के परिवार वाले मृत्युदण्ड के बदले आजीवन कारावास या क्षमाधान के लिए संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं व अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपाल को क्षमादान का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है

(2). अब हम दूसरे मत की बात करते हैं ज्यादातर व्यक्ति यह मत रखते हैं कि अपराधी को मृत्युदण्ड ना मिले ज्यादातर गवाह इस बात का मत अधिकतर रखते हैं कि जिसकी वे गवाही दे रहे हैं उसे मृत्युदण्ड ना होकर केवल सजा मिले ऐसी धारणा अक्सर देखी गई है

(3). तीसरी बात यह भी अक्सर देखी जाती है कि किसी भी अपराधी को सजा देने की शक्ति हमारी ज्यूरी को होती है और ज्यूरी यह चाहती है कि कोई भी अपराधी दोष सिद्ध ना पाया जाए तो यह भी अच्छा मानते हैं या ये भी कह सकते हैं कि ज्यूरी भी अपराधी को दोष सिद्ध पाने के पक्ष में सामान्यत नहीं रहती है इसी प्रकार की मनोवृति न्यायाधीश में भी देखी जाती है जहां की अपराधी का परीक्षण न्यायाधीश द्वारा किया जाना होता है।

उपयुक्त तीनों मतों का आंकलन करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य दण्डों की अपेक्षा मृत्युदण्ड अनिश्चित है दण्ड में उतनी ही अनिश्चितता पाई जाती है जितनी अनिश्चिता अन्य दण्ड़ों में पाई जाती है यह बात पूरी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती कि मृत्युदण्ड अनिश्चिता रखता है ऐसा नहीं सभी दण्डों में अनिश्चितता की स्थिति को देखा जा सकता है इसी से संबंधित एक मामला आया जिसका जिक्र मैनें पहले भी किया है। उदाहरण स्वरूप लक्ष्मण नायक बनाम उड़ीसा राज्य 1922 सी0एल0जे0 2692 सुप्रीम कोर्ट के इस वाद में एक चाचा ने अपनी भतीजी को बहका फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया तो न्यायालय ने उस चाचा को मृत्युदण्ड दिया क्योंकि न्यायालय ने इस मामले को विरलतम अपराध की श्रेणी में माना इसलिए मृत्यु दण्ड का आदेश दिया।

अब प्रश्न उठता है की मृत्युदण्ड और भूल का सुधार के बारे में क्या तर्क बुद्धिजीवियों के सामने आये है उन पर भी विचार किया जाना जरूरी है ये तर्क भी मृत्युदण्ड की स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है

भूल का सुधार और मृत्युदण्ड

मृत्युदण्ड को बनाए रखने के लिए जो पांचवा तर्क है वह यह है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था तथा उसकी प्रक्रिया इस प्रकार बनाई गई है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदण्ड मिलना केवल एक संभावना मात्र है परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है कि मृत्युदण्ड उन्हीं अपराधियो को मिलता है जो मृत्युदण्ड के लायक होते हैं और जिन्होंने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु दण्ड की

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

सजा से कम के लायक नहीं है जैसे उदाहरण स्वरूप निर्भया कांड दिल्ली 2012 में गैंगरेप व हत्या यह घटना 16 दिसंबर 2012 की थी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था जिसका जिक्र पहले भी किया है। इस केस में 20 मार्च 2020 को छः अभियुक्तों में से चार अभियुक्तों को मृत्युदण्ड की सजा दी गई थी और पाँचवे ने जेल के अन्दर आत्महत्या कर ली थी और छठें को नाबालिग होने के कारण तीन साल की सजा दी थी। इसी तरह का दूसरा उदाहरण हैदराबाद गैंग रेप और मर्डर 28 नवंबर 2019 नौ दिन बाद चारों आरोपियों को तेलंगना पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और ऐसे बहुत उदाहरण हैं यहां ये उदाहरण देने का अर्थ यह है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है यहां बेवजह किसी को सजा देने की मानसिकता ज्यूरी की नहीं है। यहाँ उसी व्यक्ति को सजा मिलती है जो अपराध करता है और सजा पाने के लायक है मृत्युदण्ड इस देश में उसी अपराधी को दिया जाता है जिसने ऐसा अपराध किया है कि वह अब इस समाज में जिंदा रखने के योग्य नहीं रह गया है। इसका मारा जाना लाजमी है यदि इसे मृत्युदण्ड नहीं दिया गया तो दूसरे व्यक्ति जो समाज में सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर पूरी तरह से रोकथाम करने का उपाय है। और अपराधी का समाप्त करना पूरी तरह से समाज को सुरक्षित करने का इससे बेहतर प्रयास और कोई हो नहीं सकता है। ऐसा ही एक केस है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था गीता और संजय चोपड़ा किडनैपिंग केस नई दिल्ली 1978 का है जिसमें संजय व गीता चोपड़ा की हत्या कर दी थी इसके अपराधी कुलजीत सिंह उर्फ रंगा जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला तिहाड़ जेल में 31 जनवरी 1982 को फांसी की सजा दी गई थी यह उदाहरण देने का इशारा सिर्फ इतना है कि हमारी ज्यूरी बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करती है लेकिन जो हमारा बिन्दू है हम फिर उसी तरफ आते हैं कि अपराधशास्त्री ये तर्क देते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था कितनी भी व्यवस्थित क्यों ना हो, कितनी भी विस्तृत व पूर्ण क्यों ना हो कितनी भी सावधानी बरतकर न्याय क्यों ना करें! जो न्याय देते है वे भी न्याय देने में भूल कर सकते हैं वे भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड दे सकते हैं।

इस तर्क के पक्ष में कुछ तथ्य दिए गए इस प्रकार है

(1) जो निर्णय देते हैं वह निर्णय देने वाले मानव ही तो है क्या कोई मनुष्य भूल नहीं कर सकता है क्या उनके द्वारा कोई भूल नहीं की जा सकती है।

(2) दूसरा तर्क यह है कि कानून बहुत ही तकनीकी होता है इसके जाल में निर्दोषों का फँस जाना स्वभाविक हो सकता है जैसे–झूठी गवाही, साक्ष्य की अपर्याप्ता, गलत पहचान आदि इन तीनों बातों के कारण भी व्यक्ति फँस सकता है और उसको सजा भूलवश हो सकती है।

समर्थन में यह तथ्य दिया गया है कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति किसी आपराधिक कार्यवाही में फँस जाता है तो उसके लिए अन्य कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं वह अपना बचाव भी ठीक से नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें जागरूकता की कमी रहती है उसे यही पता नहीं होता कि राज्य सरकार द्वारा उसे वकील भी मौहिय्या हो सकता है परंतु जागरूकता की कमी व निर्धन होने के कारण उसका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है जैसे एक जागरूक व्यक्ति का करता

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

है यदि उसे सरकार द्वारा वकील मौहिय्या भी करा दिया जाता है तो भी उसे कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है उसके पीछे एक ही कारण है कि सरकार द्वारा दिया गया वकील भी उतनी निष्ठा से काम नहीं करता है। क्योंकि उसके पीछे एक कारण यह है कि अभियुक्त या उसके संबंधियों द्वारा वकील मोटी फीस वसूलते हैं आज भी वर्तमान में भ्रष्टाचार व राजनीतिक दबाव न्याय प्रशासन में मौजूद है जहां साक्षी को रुपए देकर खरीद लेते हैं यहां तक कि विशेषज्ञों को भी खरीद लेते हैं और उनसे गलत विपक्ष में साक्ष्य दिलवाया जा सकता है यदि इन सभी परिस्थितियों को देखे तो मृत्युदण्ड को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है क्योंकि वर्तमान में भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है कि हर व्यक्ति लालच वशीभूत कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता है तथा लालच वशीभूत किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फँसाया जा सकता है इसलिए यह कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने की नीयत से रंजिशन भी उसे फंसवा सकता है/मरवा सकता है परंतु फिर भी इस शर्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मृत्युदण्ड निर्दोषों को दिया जाना दूरस्थ संभावना हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदण्ड यदि गलत रूप में मिल जाता है तो वह भूल किसी भी कीमत पर सुधारी नहीं जा सकती है क्योंकि यह दण्ड ऐसा दर्द है जहां व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है अभी तक जितने भी तर्क दिए गए हैं उनमें दोनों पक्षकारों ने अपने अपने तर्कों को दिया है परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी तर्क है जो मृत्युदण्ड की समाप्ति के संबंध में दिए गए है।

अब उन तर्कों पर चर्चा करते हैं:–

मृत्युदण्ड का अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव

मृत्युदण्ड को समाप्त करने के संबंध में तर्क देने वालों का मानना है कि मृत्युदण्ड के निष्पादन से जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं उनके ऊपर मृत्युदण्ड का आधुनिक प्रभाव पड़ता है यह तर्क कल्पना पर आधारित है और तथ्य की पुष्टि कम करता है कोई व्यक्ति जिस कार्य को पेशे के रूप में करता है उसका आदी हो जाता है जैसे एक व्यक्ति जो लाश की चीर फाड़ का काम करता है उसके लिए वह सामान्य सी बात हो जाती है जैसे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर परंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति उस चीज को देखता है तो वह उस पर खराब प्रभाव डालती है। इसलिए यहां यह कहना सही है कि मृत्युदण्ड मृत्यु ग्रहों से संबंधित व्यक्तियों पर खराब प्रभाव डालता है स्वीकार नहीं किया जा सकता है

मृत्युदण्ड व पारिवारिक विघटन

मृत्युदण्ड ना रखने के संबंध में यह भी एक तर्क सामने आता है कि मृत्युदण्ड से पारिवारिक विघटन पैदा होता है और यह विघटन बच्चों पर प्रभाव डालता है और बच्चों को अपराधी बनने में सहयोग करता है लेकिन यह उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ मृत्युदण्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो गरिमा से गिरा हुआ अपराध की श्रेणी में आता है यदि ऐसे

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता है जिसने इस श्रेणी का अपराध किया है तो यह गलत नहीं है और ना ही यह पारिवारिक विघटन का कारण है बल्कि यह परिवार व बच्चों को सीख देता है कि हमें ऐसा कोई भी अपराध नहीं करना है। जिसका परिणाम मृत्युदण्ड हो इसलिए यह तर्क बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अब हम बात करते हैं कि मृत्यु दण्ड और मानव जीवन के प्रति आदर की भावना का महत्व क्या है इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है

मृत्युदण्ड बनाए रखने के विपक्ष तथा मृत्यु दण्ड की समाप्ति के पक्ष में यह तर्क भी सामने आया है कि मृत्युदण्ड मानव जीवन के प्रति आदर की भावना को समाप्त कर देता है और इससे हत्या के अपराधियों में वृद्धि होती है मानव जीवन के प्रति आदर की भावना का संबंध समाज से होता है लेकिन यह तर्क एक ऐसा तर्क है जिसमें कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि यह तर्क उचित है यह तर्क मृत्युदण्ड को समाप्त करने का उचित आधार नहीं है यदि इस को और स्पष्ट किया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान आदर उसके कर्मों के आधार पर गिना जाता है ना कि केवल मृत्युदण्ड समाप्त करने पर मृत्युदण्ड का मान सम्मान से कोई संबंध नहीं है

अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु दण्ड के संबंध में मृत्युदण्ड व सुधारवादी सिद्धांत के संबंध में विद्वानों द्वारा क्या तर्क दिए गए हैं उस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

मृत्युदण्ड और सुधारवादी सिद्धांत

मृत्युदण्ड के संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है मृत्युदण्ड का सिद्धांत मृत्युदण्ड के निष्पादन सुधार सिद्धांत के प्रतिकूल है यह संभावना हो सकती है कि मृत्युदण्ड के अपराधी को आपराधिक आचरण से विरत किया जा सके हाँ यहाँ यह बात/तथ्य बच्चे के आचरण के सुधार की शक्ति रखता है। परन्तु किसी व्यक्ति को सुधार का मौका दिया जाए हो सकता है। वह सुधर जाये पर कोई गारंटी नहीं है कि अपराधी का सुधार हो जाए बस केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है पर फिर भी अन्य तरीकों की अपेक्षा यह तर्क शक्ति रखता है इस बारे में यह तर्क रखना उचित है कि हमारी सरकार हमारे कानून पूरी तरह से उचित है। उदाहरण के रूप में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह माना जाता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आचरण सुधार ग्रहों में रखकर सुधारा जा सकता है परंतु जो अपराधी बालिग हो चुका है जिसे अच्छा बुरा समझने की समझ है यदि वह उसके बाद भी अपराध कर रहा है तो वह जानबूझकर अपराध कर रहा है इसलिए उसके आचरण सुधार की संभावना कम ही रह जाती है इसलिए यह सिद्धांत भी पूरी तरह उचित नहीं है।

निष्कर्ष

अतः तमाम पहलुओं के अध्ययन से यह पाया जाता है कि मृत्युदण्ड से मानव का जीवन समाप्त हो जाता है उसे मौका भी नहीं मिलता है कि वह अपने उन कार्यों के लिए पछतावा कर

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

Smt Naepali (March 2022). भारत में मृत्यु दंड की स्थिति

International Journal of Economic Perspectives,*16*(3), 169-177

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

सके और अपने आचरण में सुधार करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सके दूसरे रूप में देखा जाए तो मृत्युदण्ड एक बर्बरतापूर्ण कृत्य है अपराधी एक रोगी के समान होता है उसका इलाज एक रोगी के समान ही किया जाना चाहिए उसकी मानसिक चिकित्सा करा कर समाज में पुनः प्रतिष्ठा दिलाकर उसे जीने का अवसर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है वह पहले से भी अच्छे आचरण वाला हो जाए लेकिन यदि कोई व्यक्ति वास्तव में मृत्युदण्ड के लायक है और उसे मृत्युदण्ड देना जरूरी है तो मृत्युदण्ड का आदेश दिया जाना चाहिए इससे मृत्युदण्ड का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। वैसे भारत में अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया जो निर्दोष हो या जिसका अपराध मृत्युदण्ड के लायक नहीं था और दिया गया हो यहां हमने सभी सिद्धांतों व पक्ष व विपक्ष के तर्को पर वर्णन किया है कोई भी विपक्ष का तर्क उतना मजबूत आधार नहीं देता है कि मृत्युदण्ड समाप्त कर दिया जाए बल्कि जो मृत्युदण्ड के पक्ष में तर्क दिए गए पूर्ण रूप से उचित है मृत्युदण्ड के पक्ष में कई ऐसे केसो का भी जिक्र किया गया है जो वर्तमान में कुछ वर्षो पहले ही दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर नोएडा, उत्तर प्रदेश का निठारी कांड जिसमें श्री शंकर लाल सी0बी0आई0 जज गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोली बच्चों को मार कर खाता था को फांसी की सजा का आदेश दिया गया था तो ऐसे लोगों को यदि फांसी न दी जाए तो और उनका क्या इलाज है ऐसे समाप्त किया जाना ही बेहतर है दिल्ली का निर्भया कांड क्या उन अपराधियों को मृत्यु दण्ड देना उचित नहीं था। इस तरह के अपराधियों को जो मानवता को तार–तार कर रहे हैं उन्हें मृत्युदण्ड देना ही उचित है यहां यह कहना उचित है कि हमारे न्यायालयों ने बिल्कुल उचित निर्णय दिये है बात रही आचरण सुधार की तो निर्भया काण्ड में 16 वर्ष के अपराधी को मृत्युदण्ड न देकर उसे सुधार गृह में रखा गया था। तमाम तर्को कि साथ पक्ष विपक्ष को देखते हुए, अन्त में–यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान व हमारी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में जो मृत्युदण्ड का प्रावधान रखा गया है। वह उचित है मृत्युदण्ड होना चाहिए यदि अपराध उस श्रेणी का है जहां उसने ऐसे अपराध कारित किया है जहाँ मृत्युदण्ड उस अपराधी को नहीं दिया गया तो समाज में अराजकता के फैलने की संभावना है, इसलिए मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रह सके और ऐसे खतरनाक अपराधियों को मृत्युदण्ड देकर अन्य उभरते हुए अपराधियों पर रोक लगाने के लिए मृत्युदण्ड सबक है इसलिए यहां यह कहना उचित है कि मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए और यह भी जरूरी है कि सेशंन कोर्ट फैसला देते समय विशेष कारणों का भी उल्लेख करें धारा 354(3) सी0आर0पी0सी0 1973

यह भी जरूरी है सजा की पुष्टि न्यायालय करें धारा 366 सी0आर0पी0सी0 1973 जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश 1973 सुप्रीम कोर्ट 1206 व बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 2 ए0सी0सी0 684 में भारत में मृत्युदण्ड की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराया गया था। यहाँ तक कि दीनानाथ बनाम भारत संघ ए0आई0आर0 1983 सुप्रीम कोर्ट 645 में कहा गया है कि गया है कि रस्सी का फंदा लगाकर मृत्युदण्ड देने का संवैधानिक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022

धारा–354(5) गले में रस्सी लगाकर फाँसी का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत भी इस प्रक्रिया को उचित ठहराया गया है। अरस्तु ने भी यही कहा कि एक खूंखार व्यक्ति जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है समाज के लिए यदि कोई व्यक्ति खतरा है तो मृत्युदण्ड जरूरी है कई मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया है जो यह मानते हैं साल 2004 में अमेरिका में "टाल विनिंग नामक व्यक्ति" पर तीन बच्चों को जलाकर मारने का आरोप लगाया गया था, बाद में "टाल विनिंग" निर्दोष पाया गया था। आज ऐमेनस्टी के के अनुसार मृत्युदण्ड 106 देशों में समाप्त कर दिया गया है 28 देशों में मृत्युदण्ड व्यवहारिक तौर पर नहीं दिया जाता है। अब केवल 56 देशों में मृत्यु दण्ड दिया जाता है भारत देश में भी यह सजा विरलतम मामलों में ही दी जाती है। अतः यह बात तमाम तर्को व पक्ष–विपक्ष के आधार पर निष्कर्ष सामने आता है कि मृत्युदण्ड विरलतम से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए जिन मामलों में मृत्युदण्ड देना उचित है। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष सामने आता है कि भारत में मृत्युदण्ड देने की स्थिति बिल्कुल ठीक है। यहाँ मृत्युदण्ड सेशंन न्यायालयों द्वारा अति गम्भीर व संगीन मामलों में ही दिया जाता है और मृत्युदण्ड देने के कारणों का भी निर्णय में खुलासा किया जाता है। भारत देश में मृत्युदण्ड का दिया जाना संवैधानिक है और मृत्युदण्ड भारत में कायम रहना चाहिए।

References

1. Project 39A-Annual Statistics Project 39A. Retrieved 6 October 2020
2. Nirbhaya Rape Case Hanging: Everything you need to know" Mumbai Mirror. 20 March 2020. Retrieved 6 October 2020.
3. Lethal Lottery: The death Penalty in India. Amnesty International India and People's Union for Civil Liberties (Tamilnadu & Puducherry) 2008
4. Section 354 in the Code of Criminal Procedure 1973 Indian Kanoon. Retrieved 7 October 2020.
5. Section 252 in The Indian Penal Code Indian Kanoon. Retrieved 7 October 2020.
6. http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/132013 .pdf
7. Ministry of Home Affairs, India Criminal Law (Amendment) Act, 2018 Retrieved from: https://mha.gov.in/sites/default/files/CSdivTheCriminalLawAct_14082018_0.pdf
8. Radhakrishnan, Sruthi (3 June 2019). The Hindu Explains: What is Section 376E and how does it affect the Shakti Mills gang rape case? The Hindu ISSN 0971-751X Retrieved 7 October 2020
9. The Andhra Pradesh Control of Organised Crime Act, 2001 (PDF). AP State Portal. Retrieved 22 September 2020.
10. The Assam Rifles Act, 2006 (PDF) Legislative Department, Ministry of Law and Justice. Retrieved 22 September 2020.
11. Bombay Act No. XXV of 1949 (PDF). India Code.
12. The Border Security Force Act, 1968 (PDF) Legislative Department, Ministry of Law and Justice.
13. Coast Guard Act, 1978 (PDF) Indian Coast Guard.
14. The Defence of India Act,1971 (PDF) Directorate General Fire Services, Civil Defence & Home Guards.
15. "Geneva Conventions Act, 1960 (PDF), Legislative Department, Ministry of Law and Justice.
16. "Section 3 in the Explosive Substances Act, 1908 Indian Kanoon.

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Smt Naepali

Submitted: 27 Dec 2021, Revised: 09 January 2022, Accepted: 18 February 2022, Published: 31 March 2022